सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

मांग संख्या 88

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005 आयोजना	बजट 2004-2005 आयोजना-भिन्न	बजट 2004-2005 जोड़	संशोधित 2004-2005 आयोजना	संशोधित 2004-2005 आयोजना-भिन्न	संशोधित 2004-2005 जोड़	बजट 2005-2006 आयोजना	बजट 2005-2006 आयोजना-भिन्न	बजट 2005-2006 जोड़
राजस्व		1312.25	65.01	1377.26	1175.33	65.00	1240.33	1415.60	66.00	1481.60
पूंजी		*179.75*	*...*	*179.75*	*174.67*	*...*	*174.67*	*118.10*	*...*	*118.10*
जोड़		**1492.00**	**65.01**	**1557.01**	**1350.00**	**65.00**	**1415.00**	**1533.70**	**66.00**	**1599.70**
1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	2251	1.00	10.37	11.37	1.00	10.43	11.43	2.00	11.59	13.59
2. विवेकाधीन अनुदान	2013	...	0.06	0.06	...	0.06	0.06	...	0.06	0.06
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण										
अनुसूचित जातियों का कल्याण										
3. अनुसूचित जातियों की संघटक आयोजना	2225	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25
के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	3601	400.85	...	400.85	372.84	...	372.84	489.97	...	489.97
	3602	0.90	...	0.90	0.90	...	0.90	1.00	...	1.00
	जोड़	*402.00*	*...*	*402.00*	*373.99*	*...*	*373.99*	*491.22*	*...*	*491.22*
	2225	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.30	...	0.30
4 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	3601	312.64	...	312.64	312.64	...	312.64	370.69	...	370.69
	3602	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.90	...	0.90
	जोड़	*313.24*	*...*	*313.24*	*313.24*	*...*	*313.24*	*371.89*	*...*	*371.89*
5. सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास	2225	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.50	...	0.50
सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955										
तथा अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989	3601	34.15	...	34.15	34.15	...	34.15	35.91	...	35.91
के कार्यान्वयन के लिए तन्त्र	3602	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.50	...	0.50
	जोड़	*34.75*	*...*	*34.75*	*34.75*	*...*	*34.75*	*36.91*	*...*	*36.91*
6. कन्या छात्रावास	2225	5.00	...	5.00	3.00	...	3.00	...	...	...
	3601	16.50	...	16.50	11.50	...	11.50	0.01	...	0.01
	3602	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	...	...	...
	जोड़	*22.00*	*...*	*22.00*	*15.00*	*...*	*15.00*	*0.01*	*...*	*0.01*
7. लड़कों के लिए छात्रावास	2225	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	...	...	...
	3601	21.50	...	21.50	21.50	...	21.50	0.01	...	0.01
	3602	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	...	...	...
	जोड़	*26.00*	*...*	*26.00*	*26.00*	*...*	*26.00*	*0.01*	*...*	*0.01*
8. मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना	2225	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
	3601	15.94	...	15.94	9.94	...	9.94	0.01	...	0.01
	3602	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	...	...	...
	जोड़	*16.00*	*...*	*16.00*	*10.00*	*...*	*10.00*	*0.01*	*...*	*0.01*
9. अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	2225	25.50	...	25.50	25.50	...	25.50	26.00	...	26.00
10. अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए	2225	9.60	...	9.60	0.61	...	0.61	16.53	...	16.53
अन्य कार्यक्रम	3601	26.00	...	26.00	4.01	...	4.01	5.03	...	5.03
	3602	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	...	...	...
	जोड़	*35.70*	*...*	*35.70*	*4.72*	*...*	*4.72*	*21.56*	*...*	*21.56*
जोड़-अनुसूचित जातियों का कल्याण		**875.19**	**...**	**875.19**	**803.20**	**...**	**803.20**	**947.61**	**...**	**947.61**
11. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सामान्य	2225	12.80	11.74	24.54	10.80	10.65	21.45	36.50	10.52	47.02
कार्यक्रम	3601	49.70	...	49.70	49.70	...	49.70	52.96	...	52.96
	3602	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60	0.50	...	0.50
	जोड़	*63.10*	*11.74*	*74.84*	*61.10*	*10.65*	*71.75*	*89.96*	*10.52*	*100.48*
जोड़- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण										
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		**938.29**	**11.74**	**950.03**	**864.30**	**10.65**	**874.95**	**1037.57**	**10.52**	**1048.09**
विकलांगों का कल्याण										
12. दीनदयाल विकलांग पुर्नवास योजना	2235	80.00	...	80.00	72.00	...	72.00	80.00	...	80.00
13. राष्ट्रीय अन्ध, बधिर, मानसिक रुप से मंद और अस्थि विकलांग संस्थान	2235	37.10	22.64	59.74	29.46	22.27	51.73	42.75	23.36	66.11
14. विकलांगों के लिए सहायता और उपकरण	2235	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00
15. विकलांगों के कल्याण के लिए अन्य कार्यक्रम	2235	34.19	7.34	41.53	9.29	7.70	16.99	29.84	6.75	36.59
	3601	1.90	...	1.90	1.90	...	1.90	0.01	...	0.01
	3602	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	...	...	...
	जोड़	*36.14*	*7.34*	*43.48*	*11.24*	*7.70*	*18.94*	*29.85*	*6.75*	*36.60*

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2004-2005 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2005-2006 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
16. अपंग बच्चों और विकलांगों के कल्याण के लिए यूएनडीपी सहायता	2235	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	...	...	...
जोड़-विकलांगों का कल्याण		**213.54**	**29.98**	**243.52**	**173.00**	**29.97**	**202.97**	**212.60**	**30.11**	**242.71**
बाल कल्याण										
17. द्विपक्षीय करारों के अधीन वस्तु सहायता पर संवितरण व्यय	2235	...	4.00	4.00	...	5.16	5.16	...	4.00	4.00
18. अन्य योजनाएं	2235	22.20	1.40	23.60	16.20	1.30	17.50	29.20	1.35	30.55
जोड़-बाल कल्याण		**22.20**	**5.40**	**27.60**	**16.20**	**6.46**	**22.66**	**29.20**	**5.35**	**34.55**
समाज कल्याण										
19. मद्य निषेध और नशीले पदार्थों पर रोक हेतु शिक्षा कार्य	2235	26.09	...	26.09	22.93	...	22.93	30.64	...	30.64
20. किशोरों के सामाजिक कुसमायोजन का निवारण और नियंत्रण	2235	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	...	...	...
	3601	18.25	...	18.25	18.25	...	18.25	0.01	...	0.01
	3602	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60	...	...	...
	जोड़	*18.90*	*...*	*18.90*	*18.90*	*...*	*18.90*	*0.01*	*...*	*0.01*
21. वृद्धावस्था गृहों आदि के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	2235	18.79	1.25	20.04	16.70	1.10	17.80	24.05	1.25	25.30
22.अन्य कार्यक्रम	2235	12.00	2.23	14.23	10.20	2.08	12.28	16.90	2.27	19.17
जोड़-समाज कल्याण		**75.78**	**3.48**	**79.26**	**68.73**	**3.18**	**71.91**	**71.60**	**3.52**	**75.12**
जोड़-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		**311.52**	**38.86**	**350.38**	**257.93**	**39.61**	**297.54**	**313.40**	**38.98**	**352.38**
23. अन्य सामाजिक सेवाएं	2250	...	3.98	3.98	...	4.25	4.25	...	4.85	4.85
24. सरकारी उद्यमों में निवेश	4225	164.39	...	164.39	168.29	...	168.29	99.70	...	99.70
	4235	11.00	...	11.00	1.00	...	1.00	11.00	...	11.00
	जोड़	*175.39*	*...*	*175.39*	*169.29*	*...*	*169.29*	*110.70*	*...*	*110.70*
25. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभ की परियोजना/स्कीम के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	61.44	...	61.44	52.10	...	52.10	62.63	...	62.63
	4552	4.36	...	4.36	5.38	...	5.38	7.40	...	7.40
कुल जोड़		***1492.00***	***65.01***	***1557.01***	***1350.00***	***65.00***	***1415.00***	***1533.70***	***66.00***	***1599.70***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
24.01 राष्ट्रीय अ. जा. वित्त एवं विकास निगम	22225	15.10	...	15.10	11.00	...	11.00	16.60	...	16.60
24.02 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	22225	9.00	...	9.00	17.00	...	17.00	10.00	...	10.00
24.03 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम	22225	71.29	...	71.29	71.29	...	71.29	19.60	...	19.60
24.04 राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम को शेयर पूंजी	22225	49.00	...	49.00	49.00	...	49.00	31.50	...	31.50
24.05 राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम	22235	11.00	...	11.00	1.00	...	1.00	11.00	...	11.00
24.06 राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम	22225	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	22.00	...	22.00
जोड़		**175.39**	**...**	**175.39**	**169.29**	**...**	**169.29**	**110.70**	**...**	**110.70**
ग. आयोजना परिव्यय										
केन्द्रीय क्षेत्र आयोजना										
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	22251	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	2.00	...	2.00
2. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	22225	1102.68	...	1102.68	1032.59	...	1032.59	1137.27	...	1137.27
3. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	22235	322.52	...	322.52	258.93	...	258.93	324.40	...	324.40
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	65.80	...	65.80	57.48	...	57.48	70.03	...	70.03
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र आयोजना		**1492.00**	**...**	**1492.00**	**1350.00**	**...**	**1350.00**	**1533.70**	**...**	**1533.70**

सं.88/सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

1. **सचिवालयः** इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है।

2. **विवेकानुदानः** सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री द्वारा विवेकानुदान योग्य संगठनों और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं तथा जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए स्वीकृत किया जाता है ।

3. **अनुसूचित जाति विशेष में घटक आयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायताः** इसे राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजनाओं से जोड़ा गया है । इस योजना का आशय अनुसूचित जातियों के विकास के लिए विशेष रुप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कृषि, ग्रामीण और कुटीर उद्योग, पशु पालन इत्यादि में सुसंगत कार्यक्रमों पर अपेक्षित जोर देना है। 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने यह योजना अपनाई है। इसे पूरी तरह से केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

4. **मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाः** इस योजना का उद्देश्य भारत में मान्यताप्राप्त संस्थानों में मान्यताप्राप्त मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन जारी रखने के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है । योजना, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को उनकी संबंधित वचनबद्ध देयताओं के अतिरिक्त जिन्हें उनके अपने संसाधनों से वहन किए जाने की आवश्यकता है योजना के कार्यान्वयन के लिए शत–प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराती है । तथापि, उत्तर-पूर्वी राज्यों की वचनबद्ध देयता को नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के प्रारंभ होने के साथ ही छोड़ दिया गया है ।

6. **पी.सी.आर. अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन और अत्याचार रोकथाम अधिनियम, 1989 के लिए तंत्रः** सिविल अधिकार अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार की रोकथाम) अधिनियम 1989 के संरक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को 50:50 के आधार पर और संघ राज्य क्षेत्रों को शत प्रतिशत आधार पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। सहायता का अभिप्राय अधिनियमों को जारी रखने के लिए उनके द्वारा अपनाए गए उपायों का समर्थन करना है जिनमें कानूनी सहायता, मुकदमा आरंभ करने या अभियोजन पर पर्यवेक्षण करने के लिए अधिकारियों की नियुक्त करना, समितियों और विशेष न्यायालयों की स्थापना करना, आवधिक सर्वेक्षण आयोजित करना और अत्याचार पीड़ितों/आश्रितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने सहित पर्याप्त सुविधाओं का प्रावधान आदि शामिल है।

7. **कन्या छात्रावासः** - इस स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की कन्याओं के लिए जो माध्यमिक तथा उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण कर रही है, छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु राज्य सरकारों को 50:50 अनुदान, संघ राज्य सरकारों को 100 प्रतिशत और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 90 प्रतिशत तथा अन्य विश्वविद्यालयों को 45 प्रतिशत के आधार पर प्रदान किया जाता है ।

8. **लड़कों के लिए छात्रावास**- केंद्रीय सहायता 50:50 के आधार पर अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए, जो माध्यमिक तथा उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, छात्रावास के निर्माण हेतु संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 90 प्रतिशत और अन्य विश्वविद्यालयों को 45 प्रतिशत के आधार पर प्रदान की जाती है।

9. **मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तिः** इस स्कीम का उद्देश्य गंदे व्यवसायों जैसे मैला ढोने, चमड़ा उतारने, चर्म शोधन, इत्यादि, में लगे बच्चों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को 50:50 तथा राज्य सरकारों/ संघ राज्य प्रशासनों की संबंधित प्रतिबद्ध देयता के अतिरिक्त संघ राज्य सरकारों को शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

10. **अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायताः** इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अखिल भारतीय या स्थानीय प्रकृति के सक्षम और विश्वसनीय स्वैच्छिक संगठनों की सेवाओं का उपयोग करना है । इस योजना के अन्तर्गत, भारत सरकार द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को सामान्य/तकनीकी/वोकेशनल शिक्षा की सुविधाएं जिनमें विद्यालय-पूर्व सेवा कार्यकलाप जैसे स्वास्थ्य केन्द्र, डिस्पेंसरियाँ और आय उत्पादक कार्यकलाप जैसे वाणिज्य कारोबारों की विविधता में तकनीकी प्रशिक्षण जैसी गतिविधियों के लिए प्रत्येक की परियोजना लागत के 90 प्रतिशत तक सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

11. **अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए अन्य कार्यक्रमः** इस प्रावधान में अनुसूचित जातियों के अखिल भारतीय अथवा अन्तर्राज्यीय स्वरूप की सहायक परियोजना, कोचिंग और सम्बद्ध स्कीम तथा अनुसूचित जाति के छात्रों की योग्यता के उन्नयन के लिए सहायता देना शामिल है ।

12. **अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों आदि के कल्याण के लिए सामान्य कार्यक्रमः** इस प्रावधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग पर व्यय की व्यवस्था, आर्थिक मानदंड के आधार पर कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व तैयारी, सफाई कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जाति के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान मौलाना आजाद एजूकेशन फाउण्डेशन, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए विदेशों में अध्ययन हेतु छात्रवृत्तियां, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, मैट्रिकोत्तर और अ0पि0व0 के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां अ0पि0व0 के लिए लड़के एवं लड़कियों हेतु छात्रावास, अधिसूचित न की गई जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, नोमेडिक तथा सेमी नोमेडिक जनजातियों, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग,धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों के बीच राष्ट्रीय सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए प्रावधान भी शामिल है।

13. **दीनदयाल अपंग व्यक्ति पुनर्वास योजनाः** इस स्कीम के तहत स्वैच्छिक संगठनों को स्वैच्छिक कार्य को प्रोत्साहित करने, अपंग व्यक्तियों के लिए अनुकूल परिवेश उत्पन्न करने और विकलांगों और उनके परिवारों को समान अवसर और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए अनुदान सहायता स्वीकृत की जाती हैं ।

14. **अन्धे, बहरे, मानसिक तौर पर विक्षिप्त, अस्थि दोष युक्त और बहुविध विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थानः** कल्याण सेवाओं का एक व्यापक पैकेज उपलब्ध कराने की नीति के अनुरूप तथा अपंग व्यक्तियों की बहु-आयामी समस्याओं के कारगर निदान की दृष्टि से 4 राष्ट्रीय संस्थान अपने-अपने विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य कर रहे है ।ये संस्थान अपंगता के क्षेत्र में प्रशिक्षित जनशक्ति का विकास करने के लिए विभिन्न अन्य पूनर्वास सेवाएं उपलब्ध करा रहे है । ये संस्थान है : बधिर व्यक्तियों के लिए अली यावर जंग राष्ट्रीय संस्थान, मुम्बई, मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, सिकन्दराबाद, दृष्टि दोषयुक्त विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, देहरादून, अस्थि संबंधी दोषों से युक्त विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, कोलकाता। इनके अलावा राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थान, नई दिल्ली को उनके अपने क्षेत्रों में पुनर्वास सेवाएं एवं प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापना की गई है।ये संस्थान पंजीकृत समितियां हैं और केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णत; वित्तपोषित है। बहुल अंपगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए भी एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव है।

15. **शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायता और उपकरणः** इस योजना का उद्देश्य शारीरिक रूप से विकलांग जरूरतमन्द व्यक्तियों को स्थायी, आधुनिक और मानक सहायक उपकरणों तथा उपकरणों सहित सहायता प्रदान करना है जो उन्हें शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक संभावना तथा मनोवैज्ञानिक रूप से पुनर्वासित कर सके ।

16. **विकलांगों के कल्याण के लिए अन्य कार्यक्रमः** इसमें भिन्न भिन्न राज्यों में स्थापित 11 जिला पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना संबंधी अन्य स्कीमों, आत्म विमोह, मस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक रूप से विकलांग और बहु प्रकार अपंग व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित राष्ट्रीय न्यास भारत के पुनर्वास केन्द्र, मिशन रुप में प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं, अपंग व्यक्तियों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र निधि को अंशदान, मेरुदण्ड चोट केन्द्र, विकलागों को रोजगार, विकलांगों के मुख्य आयुक्त के कार्यालय, और अपंग व्यक्ति अधिनियम, 1995 की कार्यान्वयन योजना और पुर्नवास (रिहेबिलिटेशन) विज्ञान महाविद्यालय के लिए प्रावधान शामिल है ।

17. **अपंग बच्चों की सहायता के लिए यू एन डी पी सहायताः** इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अपंग परियोजना क्षेत्र के प्रत्येक बच्चे को एक उपयुक्त परिवेश में शिक्षा प्राप्त हो । इसका लक्ष्य अपंग बच्चों के लिए कारगर गृह आधारित प्रबंधन सुलभ कराना और मध्यस्थता करना विशेषकर उन बच्चों के मामलें में जो नियमित रुप से विद्यालयों में शिक्षा पाने में असमर्थ है। इस योजना का वित्तपोषण यू एन डी पी द्वारा किया जाता है ।

18. **द्विपक्षीय करारों पर शुल्क मुक्त प्रेषणों के निपटान की व्यवस्था हेतु वितरण व्ययः** इस के अन्तर्गत व्यवस्था द्विपक्षीय करारों के अन्तर्गत विदेशों से प्राप्त उपहार प्रेषणों से सम्बन्धित परिवहन तथा अन्य आनुषंगिक व्यय को पूरा करने के लिए है । करारों में गरीब और जरूरतमन्द लोगों के सहायतार्थ और उनके पुनर्वास

के लिए इस मन्त्रालय में पंजीकृत पात्र स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से दान स्वरूप दी गई आपूर्तियों के भारत में निःशुल्क लाने की व्यवस्था है।

19. **बाल कल्याण की अन्य योजनाएं:** यह व्यवस्था आवारा बच्चों की **स्कीम**, देश में तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दत्तकीकरण को बढ़ावा देने के लिए शिशु और युवा बालगृह को सहायता, केन्द्रीय दत्तकीकरण संसाधन अभिकरण, आदि से संबंधित व्यय के लिए है।

20. **नशा उन्मूलन और नशे की बुरी आदत से संरक्षण से संबंधित शिक्षा कार्यः** इस योजना के तहत स्वंय सेवी संगठनों को कुल अनुमोदित व्यय के 90 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और उत्तर-पूर्वी राज्यों और सिक्किम व जम्मू और कश्मीर के मामले में यह 95 प्रतिशत है । इन संगठनों को आर्थिक सहायता परामर्श और जागरूकता निर्माण केन्द्रों और चिकित्सा-सह-पुर्नवास केन्द्रों की स्थापना/अनुरक्षण के लिए और नशा मुक्ति कैंपों की व्यवस्था करने, जागरूकता निर्माण कार्यक्रमों और जनशक्ति विकास के लिए दी जाती है ।

21. **किशोरावस्था में सामाजिक कुसमायोजन का निवारण एवं नियंत्रणः** इस योजना में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा कानून के अधीन विवादित बच्चों की देख–रेख, संरक्षण की व्यवस्था की जाती है। इस योजना के तहत मंत्रालय देखरेख और रंरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा कानून के अधीन विवादित बच्चों के लिए गृहों और संस्थाओं की स्थापना और अनुरक्षण के लिए 50:50 के आधार पर राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है ।

22. **वृद्ध लोगों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायताः** इस योजना में दिवस परिचर्या केन्द्रों, वृद्ध लोगों के लिए गृहों, चलती -फिरती (मोबाइल) चिकित्सा युनिटों की स्थापना तथा उन्हें जारी रखने और वृद्धों के लिए गैर-संस्थागत सेवाओं को बढ़ावा देने एवं सुदृढ़ बनाने की व्यवस्था है ।

23. **अन्य कार्यक्रमः** इसमें राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान, अनुसंधान अध्ययन और अनुसंधान प्रकाशनों, सामाजिक सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने से संबंधित स्वैच्छिक संगठनों को सहायता आसूचना और सामूहिक शिक्षा सेल और देखभाल तथा संरक्षण की आवश्यक्ता वाले काम करने वाले बच्चों के लिए वक्फ सेवा को अनुदान सहायता से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान शामिल है । इसमें संयुक्त राष्ट्र अन्तः क्षेत्रीय अपराध और न्याय संस्थान को विदेशी अंशदान के लिए प्रावधान भी शामिल है ।

24. **अन्य सामाजिक सेवाएं:** इसमें राष्ट्रीय अल्पसंस्यक आयोग और भाषाई अल्पसंस्यकों के लिए विशेष अधिकारी से सम्बन्धित व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।

25. **सरकारी उद्यमों में निवेश** : बजटीय समर्थन और आ. ब. बा. स. (आई ई बी आर) के माध्यम से इक्विटी और ऋणों का ब्यौरा व्यय बजट (खण्ड-1) में दिया गया है । इसमें निम्नलिखित के लिए अंश पूंजी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है :

(i) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम,
(ii) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम,
(iii) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम,
(iv) अनुसूचित जाति विकास निगम,
(v) राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम,
(vi) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम,

26. **पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लाभार्थ एकमुश्त प्रावधान :** यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए है ।